

कार्यालय नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)

फोन नं. 07160-231007
क्र0 822 /PWD/NPP/2026

ईमेल-cmojunardev@mpurban.gov.in
जुन्नारदेव, दिनांक - 21.04.2026

// ई-निविदा सूचना //

एतद् द्वारा सूचना लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम क्षेत्रों के पंजीयक कृत ठेकेदार/फर्म से अधोलिखित विवरण अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिनांक 02 अगस्त 2021 एवं समस्त संशोधन सहित प्रभावशील प्रचलित आई.एस.एस.आर. के आधार पर कम/अधिक प्रतिशत दर पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा क्रमांक	कार्य का नाम एवं विवरण	प्राक्कलन राशि (रु0 में)	घरोहर राशि (रु. में)	निविदा फार्म का शुल्क	श्रेणी	समयावधि	क्र.
1	2	3	4	5	6	7	8
2026_UAD_501743_1	जलप्रदाय व्यवस्था हेतु नगरीय क्षेत्र अंतर्गत पाईप लाईन रिपेयरिंग कार्य	33,72,958 /-	25,300 /-	5,000 /-	New PWD Reg.	4 माह	1

शर्तें 1- निविदा वेबसाइट <https://www.mptedners.gov.in> के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगी ।

2-ऑनलाईन निविदा प्रपत्र 21.04.2026 से 25.05.2026 सायं 17:30 बजे तक खरीदे जा सकेंगे ।

3- ऑनलाईन बिड सबमिट करने की अंतिम तिथि 25.05.2026 सायं 17:30 बजे तक है ।

4- अमानत राशि, हार्ड कॉपी केवल ऑनलाईन ही मान्य किये जायेंगे । निविदा दिनांक 27.05.2026 को 11:00 बजे से खोली जावेगी ।

5- टेण्डर फार्म में अमानत राशि के साथ अन्य दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा ।

6- टेण्डर फार्म में ठेकेदार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा -

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) अमानत राशि (EMD) | (2) निर्धारित शपथ पत्र (Affidavit) नवीन प्रारूप अनुसार |
| (3) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र । | (4) पेन नम्बर, एवं जी.एस.टी. (5) अन्य संबंधित दस्तावेज । |

7- टेण्डर फार्म के अनुसार "टेक्नीकल बिड" दस्तावेज ।

8- निविदा के समस्त अधिकार नगर परिषद जुन्नारदेव के पास सुरक्षित रहेंगे ।

9- कार्य की गुणवत्ता सर्वोपरी होगी ।

10- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

11- ठेकेदार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शासन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

12- निविदा में जी.एस.टी. छोड़कर समस्त करों की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं प्रत्येक देयक के साथ जी.एस.टी. का भुगतान तत समय प्रचलित दर से किया जावेगा ।

13- निविदाकार को दर स्वीकृति उपरांत जिला श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रारूप-05 तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा । तत्पश्चात् ठेकेदार के उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा । पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी ।

14- अतिरिक्त जानकारी वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर टेण्डर डाक्यूमेंट पर देखी जा सकती है या कार्यालय नगर परिषद जुन्नारदेव में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है ।

15- निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्तें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जो की उल्लेखित नहीं है के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश/दिशा निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे ।

शर्तें - (1) निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में केवल ऑनलाईन संशोधन किया जावेगा, समाचार पत्रों में नहीं ।

(2) निविदाकार को ई.पी.एफ. का पंजीयन प्रमाण देना अनिवार्य होगा ।

(3) निविदाकार लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण दर स्वीकृति उपरांत देना अनिवार्य होगा । Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा ।

श्री रमेश सालोडे
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव

श्रीमति सोनिया कुमरे
उपाध्यक्ष
नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव

श्रीमति लक्ष्मी बाई चन्दवशी
जल कार्य तथा सीवरज विभाग
नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव

सुश्री नंदा कुर्वे
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव

पृष्ठा. क्रमांक 823/PWD/NPP/2026
प्रतिलिपि

जुन्नारदेव दिनांक 21.04.2026

1. कार्यालय नगर परिषद जुन्नारदेव के सूचना पटल पर चप्सा हेतु ।

2. दैनिक समाचार पत्र एवं में उक्त निविदा सूचना का एक दिवसीय प्रकाशन न्यूनतम स्थान एवं न्यूनतम दर पर राज्य स्तरीय पृष्ठ पर कर, प्रकाशित विज्ञापन की तीन मूलप्रति बिल के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव